(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1560–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–5–16 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, खरगोन प्रकरण कमांक 46/अ–68/14–15.

सुखदेव पिता मोतीराम पाटीदार
निवासी उन बुर्जुग
तहसील व जिला खरगोन ....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन तर्फे प.ह.नं. 30
तहसील व जिला खरगोन ....अनावेदक

श्री अंजीत जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती, नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नम्बर 30 द्वारा नायब तहसीलदार, खरगोन के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रस्तुत की गई कि ग्राम ऊन बर्जुग स्थित खसरा नम्बर 112, 125/1 रकबा 2.084 व 5.067 मद चरनोई की भूमि पर आवेदक द्वारा वर्ष 2014–15 में बिना अनुमति के अतिकमण कर रकबा 0.607 हेक्टेयर व 2.400 हेक्टेयर पर ढाबा एवं कमरा पक्का निर्माण एवं तार फेंसिंग कर अतिकमण किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 46/अ–68/14–15 दर्ज कर आवेदक

को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2005 में आवेदक को आवंटित शासकीय भूमि से संबंधित प्रकरण बुलाये जाने का अनुरोध किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 10–5–16 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र खारिज किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक को वर्ष 2005 में सैनिक कोटे में आवंटित की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को वर्ष 2005 में आवंटित भूमि से संबंधित प्रकरण नहीं बुलाने में अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि किसी भी आवेदन पत्र के निराकरण करने में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर दुर्भावना से ग्रसित आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः अनुचित होकर निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता के अंतर्गत आवेदक के आवेदन पत्र का न्यायिक निराकरण नहीं करने में विधि एवं प्रकिया की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से वर्ष 2005 में आवंटित शासकीय भूमि से संबंधित प्रकरण मंगाये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कारण नहीं नहीं दर्शाया गया है कि उक्त प्रकरण क्योंकर तहसील न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । आवेदक को चाहिए था कि वह आवंटन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं आदेश की

सत्यप्रतिलिपि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर